



आदिवासी मुद्दों पर कांग्रेस ने सीएम को सौंपा ज्ञापन

विशेष संवाददाता
भोपाल, 31 जुलाई. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने 9 अगस्त (विश्व आदिवासी दिवस) को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्जीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की. इसके साथ ही रीवा जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में फुटेलाल मार्को, केदार डाबर, झुमा सोलंकी, संजय उड्के और सुनील

सीएम 7 को करेंगे प्रथम जन-विश्वास दौरा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सात अगस्त को छिंदवाड़ा में प्रथम जन-विश्वास दौरे के तहत आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चयनित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे. समाधान कार्यक्रम के लिए शिकायतों का चयन कर उनका प्राथमिक स्तर पर परीक्षण एवं निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है. निराकृत शिकायतों के आधार पर चयनित शिकायतकर्ताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री स्वयं उनसे वार्ता कर समाधान की स्थिति का आकलन करेंगे. राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है. सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह जन-विश्वास दौरा नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद और उत्तरदायी सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी. मुख्यमंत्री इस अवसर पर जिले में विकास कार्यों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक भी करेंगे. इसके अलावा वह उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ उद्योग संवाद में भाग लेकर निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार से जुड़े विषयों पर वार्ता करेंगे.

गोहद तहसीलदार की कार पर हूटर, 10 हजार का चालान

भिण्ड, 31 जुलाई. जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई के दौरान गोहद तहसीलदार की सरकारी कार पर अवैध रूप से हूटर लगा मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 हजार रुपये का चालान किया और मौके पर ही हूटर उतरवा दिया. अभियान के दौरान कुल 38 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 70 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया. गोहद अनुभाग में पदस्थ तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव अपनी सरकारी कार से भिण्ड से गोहद की ओर ड्यूटी पर जा रहे थे. इसी दौरान मेहागव क्षेत्र में भिण्ड-ग्वालियर नेशनल

हाईवे-719 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति बघेल के नेतृत्व में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. जांच के दौरान तहसीलदार की सरकारी कार पर मोटर वाहन नियमों के विपरीत हूटर लगा पाया गया. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 हजार रुपये का चालान करते हुए वाहन से तत्काल हूटर हटवाया. अभियान में न्यायालयीन स्टाफ तथा मेहागव थाना प्रभारी रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौजूद रहा. टीम ने हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के संचयन जांच की. कई वाहनों से काली फिल्म हटवाई गई तथा दस्तावेजों और यातायात नियमों के पालन की जांच की गई.

नवीन तत्काल टोकन व्यवस्था आज से दलालों पर लगेगी लगाम

भोपाल, 31 जुलाई. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में तत्काल आरक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और यात्री-केन्द्रित बनाने के लिए नई टोकन प्रणाली शनिवार, 1 अगस्त से लागू होगी. नई व्यवस्था के तहत सभी कम्प्यूटीराइज्ड आरक्षण केंद्रों पर एसी तत्काल टिकट के लिए सुबह 8:30 से 9:00 बजे और नॉन-एसी के लिए 9:00 से 9:30 बजे तक टोकन वितरित किए जाएंगे.

प्रत्येक काउंटर पर एसी के लिए अधिकतम 10 और नॉन-एसी के लिए 15 टोकन जारी होंगे. नई व्यवस्था में स्वयं और निकट पारिवारिक सदस्यों के लिए टिकट कराने वालों को प्राथमिकता 'ए' श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य आवेदक प्राथमिकता 'बी' में

आरपीएफ ने 70 हजार का लेपटॉप और बैग लौटाया

भोपाल. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में 'ऑपरेशन अमानत' के तहत आरपीएफ पोस्ट हरदा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 70 हजार रुपये मूल्य का लेपटॉप, वाइफ़ और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग उसके वास्तविक मालिक को सुरक्षित वापस सौंप दिया. यात्री हर्ष राठौर खंडवा से भोपाल की यात्रा के दौरान भीड़ के कारण ट्रेन बदलते समय अपना बैग सामान्य कोच में भूल गए थे. सूचना मिलते ही एएसआई रूपेन्द्र बूवाड़े और प्रधान आरक्षक जितेंद्र तिवारी ने हरदा स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी लेकर बैग बरामद किया. आवश्यक पहचान और सत्यापन के बाद बैग यात्री को सौंप दिया गया.

पत्नी ने साथ चलने से किया इंकार छत पर कड़ा लेकर चढ़ा पति

ग्वालियर, 31 जुलाई. ससुराल वालों ने पत्नी को साथ भेजने से इंकार कर दिया तो एक शख्स कड़ा लेकर मकान की छत पर चढ़ गया. स्वयं को और ससुराल वालों का गोली मारने की धमकी देने लगा है. उसे उतारने के लिये 3 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा. लगभग 1.30 बजे घंटे की मशकत के बाद एक टीआई ने उसे बहला-फुसलाकर मनाया और नीचे उतरा. घटना ग्वालियर के तिघरा थाना इलाके की सौजना गांव की है. बहोड़ापुरा थाना टीआई आलोक परिहार ने मुरैना जिले के जौरा निवासी जोगेन्द्रसिंह गुर्जर की ससुराल सौजना गांव में है. उसकी पत्नी कुछ समय से नाराज होकर



मायके में रह रही थी. जोगेन्द्र सिंह पत्नी को वापिस ले जाने के लिये ससुराल पहुंचा. लेकिन वह नशे में था. उसकी हालत देखकर साले मृदुल ने बहन को साथ भेजने से इंकार कर दिया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गयी थी. बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि आरोपी अपनी बेइज्जती का बदला ससुराल वालों से लेने की बात कवरकर छत पर चढ़ गया था.

विश्व कैंसर दिवस तीसरे या चौथे स्टेज में होती है 70 % से अधिक लंग कैंसर की पहचान, सामान्य खांसी भी हो सकती है खतरनाक

महिलाओं में बिना धूम्रपान के ही बढ़ रहा लंग कैंसर

साक्षी केसरवानी
भोपाल, 31 जुलाई. सिगरेट, बीड़ी न पीने से आपके फेफड़े सुरक्षित हैं, यह एक भ्रम हो सकता है. वर्तमान में फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) केवल धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं है. बल्कि पैसिव स्मॉकिंग, बढ़ते प्रदूषण और रसोई के धुएं के कारण यह सभी को अपनी चपेट में ले रहा है. नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में सबसे ज्यादा लंग कैंसर होता है. वहीं डॉक्टरों के मुताबिक वर्तमान में महिलाओं में भी लंग कैंसर तेजी से फैल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक



लंग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को सामान्य खांसी या टीबी समझने से भूल से देशभर में करीब 70 % से अधिक मरीजों में बीमारी की पहचान तीसरे या चौथे चरण में हो पाती है. इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में वर्ष 2022 के

कम दबाव के असर से प्रदेश में बारिश का दौर तेज 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी

नवभारत न्युज
भोपाल, 31 जुलाई. पश्चिमी विदर्भ और दक्षिण मध्यप्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र ने पूरे मध्यप्रदेश में मानसून को फिर से सक्रिय कर दिया है. इसी सिस्टम के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे तक इसका असर बना रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार यह सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर होगा, लेकिन मानसून की सक्रियता



अगले कुछ दिन बनी रहेगी. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण प्रदेश के ऊपर बादलों का घना जमाव बना हुआ है. कम दबाव का

क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के मध्य, पश्चिम और दक्षिण हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ गया है. इसी वजह से कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है, जबकि

राजधानी भोपाल में शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश की गई, जिससे जुलाई महीने की कुल वर्षा सामान्य से ऊपर पहुंच गई. शहर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा. अगले 24 घंटे में भोपाल में बादल छाप रहेंगे. कई बार हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है. हवा 14 से 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.

कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिली.

महाकाल मंदिर पहुंचे सवा दो लाख श्रद्धालु

उज्जैन, 31 जुलाई. उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के पहले दिन श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा. कड़ी सुरक्षा और व्यापक व्यवस्थाओं के बीच गुरुवार को दो लाख 23 हजार 542 श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए.

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रबंध समिति, जिला प्रशासन, पुलिस तथा अन्य विभागों ने पाकिंग, जूता स्टैंड, 250 रुपये के शीर्ष दर्शन टिकटधारकों, कांवड़ यात्रियों,



जल अर्पण, भस्म आरती तथा विभिन्न दर्शन मार्गों पर बैरिकेडिंग, संकेतक बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. समिति के अनुसार श्रावण-भादो मास के दौरान 30 जुलाई से सात सितंबर तक प्रतिदिन भगवान महाकाल की भस्म आरती के लिए मंदिर के पट प्रातः तीन बजे खोले जाएंगे, जबकि प्रत्येक सोमवार को पट प्रातः दो बजकर 30 मिनट

भस्म आरती प्रतिदिन प्रातः तीन से पांच बजे तथा सोमवार को प्रातः दो बजकर 30 मिनट से चार बजकर 30 मिनट तक होगी. आठ सितंबर से मंदिर की समय व्यवस्था पूर्ववत् लागू कर दी जाएगी. सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय के समीप से नंदी द्वार, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फेसिलिटी सेंटर-1, टनल परिसर, कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम होते हुए दर्शन करेंगे. नीलकंठ प्रवेश द्वार से आने वाले श्रद्धालु भी निर्धारित मार्ग से दर्शन कर निर्गम द्वार अथवा नवीन आपातकालीन निकास से बाहर निकलेंगे.

पुजारी नियुक्ति की 2019 की पॉलिसी को चुनौती

जबलपुर, 31 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग को अवसर नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है. एक्विंग चीफ जस्टिस विवेक रूस्विया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

यह जनहित याचिका अजाक्स भोपाल के सचिव एमसी अहिरवार की ओर से दायर की गई है. जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार के धार्मिक न्याय से धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने 4 फरवरी 2019 को एक आदेश जारी किया था. इसके माध्यम से सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर



नीति निर्धारित की गई थी. इसी नीति और उसके तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर याचिका में आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुजारी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल ब्राह्मण समुदाय को स्थान दिया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की अनदेखी की जा रही है. याचिका में दावा किया गया है कि जाति के आधार पर अन्य वर्गों को पुजारी बनने के अवसर से वंचित करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है. इसी आधार पर हाईकोर्ट से राज्य सरकार को पुजारी नियुक्ति व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की गई है.

पति की हत्या की आरोपी प्रोफेसर को झटका

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट से पति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही छतरपुर के सरकारी कॉलेज की पूर्व सीनियर व्याख्याता डॉ ममता पाटक को झटका लगा है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पैराल की अवधि 90 दिन और बढ़ाने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. एकलपीठ ने दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक ही राहत के लिए दूसरी बार दायर याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती. हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पैराल से संबंधित राहत के लिए छतरपुर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी है. डॉ. ममता पाटक छतरपुर के एक सरकारी कॉलेज में सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत थीं. उन पर 29 अप्रैल 2021 को अपने पति की करंट लगाकर हत्या करने का आरोप था. मामले में ट्रायल के बाद छतरपुर की संबंधित अदालत ने 29 जुन 2022 को उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, लेकिन 29 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी.

टीबी समझने की भूल पड़ रही भारी

कैंसर विशेषज्ञ डॉ योगेश्वर शुक्ला ने बताया कि लंग कैंसर और टीबी के लक्षण एक जैसे होते हैं. जिसके कारण कई बार खांसी ठीक न होने पर डॉक्टरों द्वारा केवल एक्स-रे के आधार पर मरीज को बिना खखार (बलगम) की जांच के ही टीबी की दवाएं दे दी जाती हैं, जो नुकसानदायक है. मरीज को बिना खखार की जांच पीजीटिव आये टीबी की दवा नहीं करनी चाहिए. बल्कि सिटी स्कैन करवाकर कैंसर की जांच करानी चाहिए. जिससे शुरुआती स्टेज में ही सही बीमारी का पता चल सके.



अनुसार भोपाल में वर्ष 2021 में कुल 1 हजार 114 मरीजों में से 49 यानी 4.4 प्रतिशत लंग कैंसर के थे. जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या

बढ़कर 1 हजार 781 हो गई. जिसमें 86 यानी 4.8 प्रतिशत मरीज लंग कैंसर से पीड़ित पाये गये. जिसमें 2022 में 77.9 %